न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 59/19 (वाद)
GCMS No. : 2019/00304

1. श्री रंगलाल पिता परथा गुर्जर निवासी माण्डुथल तहसील मावली।

.....वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय, उदयपुर।

.....प्रतिवादी

उपस्थित–1. श्री दिनेश डांगी, अधिवक्ता वादी।
2. तहसीलदार घासा राजपेरोकार मावली।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.
निर्णय

दिनांक : 15.09.2025

1. वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खेडा भानसोल पटवार हल्का भानसोल तहसील मावली हाल घासा की आराजी नम्बर 1537 रकबा 30 बीघा 5 बिस्वा जो सम्वत् 2071–74 के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में बिलानाम गैरकाबिल काश्त किस्म मगरी दर्ज थी जो वर्तमान में बिलानाम सरकार अंकित हैं।
2. यह कि आराजी नम्बर 1537 में से 9 बीघा भूमि जिसके पडौस पूर्व में जंगलात भूमि व रामसिंह पिता भानसिंह जी का बीडा, पश्चिम में कमला पिता हमेरा जी का बीडा व रास्ता, उत्तर में भंवरसिंह पिता भानसिंह का बीडा, दक्षिण में आम रास्ता। उपरोक्त चारो पडौसान मध्य स्थित 9 बीघा जमीन पर मैं वादी गत 30 वर्षों से निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज हो उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हूं और मुझ वादी ने मेरे कब्जे की भूमि पर काफी खर्चा कर एवं जे.सी.बी. लगाकर मगरी भूमि को कृषि योग्य बनाकर आवादान की और भूमि के चारो तरफ खाई खोद एवं बाडा कर रखा है और इस भूमि पर काश्त कर मवेशियों व घासफुस के लिए उक्त भूमि का बिना किसी रोक टोक उपयोग उपभोग करता आ रहा हूं तथा राज्य सरकार में समय–समय पर उक्त भूमि का लगान भी जमा कराता आ रहा हूं और शांतिपूर्वक काबिज हो उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हूं तथा उक्त भूमि पर वादी द्वारा लाखों रूपयों का खर्चा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:54 IST
Reason: SelfAttested

कर भूमि को उपजाऊ बनाकर काश्त योग्य बनायी है एवं आवादान की गई हैं। मुझ वादी के पास उक्त कृषि भूमि के अलावा आजीविका का कोई साधन नहीं हैं।

3. यह कि मुझ वादी द्वारा प्रतिवर्ष उक्त वर्णित भूमि पर काश्त की जाती रही है और मुझ वादी ने परिवार सहित काफी मेहनत मजदूरी कर इस भूमि को उपजाऊ बनाने में लाखों रूपयों का खर्चा किया हैं। उक्त 9 बीघा भूमि को मुझ वादी ने अपने खाते में दर्ज कराने हेतु राजस्व अधिकारियों को कई बार आवेदन किये गये परन्तु मुझ वादी को खातेदारी अधिकार प्रदान कर राहत प्रदान नहीं की। जबकि राजकीय प्रावधान एवं निर्देशित नियमों के तहत् पुराने कब्जे के आधार पर खातेदार काश्तकार उक्त भूमि का मुझ वादी को कर दिया जाना चाहिए था परन्तु तत्कालीन राजस्व अधिकारियों ने जानबुझकर कोई राहत प्रदान नहीं की। उक्त वर्णित आराजी में 9 बीघा कृषि भूमि पर मुझ वादी का गत 30 वर्षों से निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है और मैं वादी काबिज हो उपयोग उपभोग करता आ रहा हूं और इस भूमि में उगने वाले घास को ले आ रहा हूं और अपने मवेशीयों को खिलाता आ रहा हूं और इस जमीन में अपने मवेशीयों को चराता आ रहा हूं और मुझ वादी ने उक्त भूमि को काश्त योग्य बनाने में लाखों रूपयों का खर्चा किया है और भूमि को आवादान की हैं। इसलिए मैं वादी उक्त वाद में वर्णित भूमि में से 9 बीघा भूमि को अपने खातेदारी हक की घोषित करा अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने का अधिकारी हूं। जिसके लिये यह वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत हैं।

4. यह कि मुझ वादी ने वाद पत्र में वर्णित आराजी में अपने कब्जे काश्त की 9 बीघा भूमि को अपने नाम खातेदारी हक से दर्ज कराने हेतु नियमानुसार दिनांक 04.01.2019 को प्रतिवादी को नोटिस दिया था जो प्रतिवादी को प्राप्त हो गया लेकिन आज दिन तक उक्त भूमि मुझ वादी के नाम पर दर्ज नहीं की गई। जिस कारण उक्त वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करना पडा हैं। मुझ वादी को प्रतिवादी के विरूद्व वाद कारण प्रथम बार उत्पन्न हुआ जब वादी ने सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों को उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में अपने नाम दर्ज करने हेतु निवेदन किया एवं दिनांक 04.01.2019 को प्रतिवादी को नियमानुसार नोटिस दिया जो प्रतिवादी को प्राप्त हो गया लेकिन उसके पश्चात् भी भूमि वादी के नाम दर्ज नहीं की, उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

5. अन्त में निवेदन किया कि मुझ वादी के हक में एवं प्रतिवादी के विरूद्व इस अमर की घोषणा की डिक्री जारी फरमाई जावे कि मौजा खेड़ा भानसोल पटवार हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:54 IST
Reason: SelfAttested

भानसोल तहसील मावली के आराजी नम्बर 1537 रकबा 30 बीघा 5 बिस्वा में से 9 बीघा भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर वादी का नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी खेवट खतौनी में अंकन फरमाया जाने की डिक्री प्रदान कराई जावे तथा प्रतिवादी व उसके अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जावें कि वे वादी को उक्त भूमि में शांतिपूर्वक काश्त करने में बाधा नहीं पहुंचावे, न बेदखल करें।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के नवीन आराजी संख्या 1537 रकबा 30 बीघा 5 बिस्वा किस्म बिलानाम गैर काबिल काश्त होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने से वादी का किसी प्रकार का कोई टाईटल नहीं बनता हैं। वादी ने वादग्रस्त आराजीयात पर अतिक्रमी की हैसियत से अतिक्रमण कर रखा है जिसके लिये वादीगण को इस कार्यालय से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत् बेदखल किया गया हैं। वादी के द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी हेतु दावा किया है जबकि वादी को धारा 91 के तहत् बेदखल किया जा चुका है जिसके तहत् वादी का लम्बे समय से भूमि निर्बाध रूप से कब्जा नहीं रहा हैं। वादी द्वारा राजकीय भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी चाही है जिसके तहत् वादी को राजकीय भूमि अतिक्रमण के आधार पर खातेदारी दिये जाने का क्षेत्राधिकार आप माननीय न्यायालय को नहीं है। अतः क्षेत्राधिकार से परे होने से वाद खारिज योग्य हैं। अन्त में निवेदन किया कि वादी का वाद इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे क्योंकि वाद पत्र में बताई गई आराजीयात न तो वादी के नाम पर है, न ही उसमें उसका हिस्सा है। वादी उक्त आराजीयात में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत् अतिक्रमी हैं।

7. **वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का जवाब पेश कर निवेदन** किया कि वादग्रस्त भूमि के नवीन आराजी नम्बर 1537 रकबा 30 बीघा 5 बिस्वा किस्म बिलानाम गैर काबिल काश्त राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना स्वीकार हैं। प्रतिवादी का उक्त कथन गलत है कि वादी का टाईटल नहीं बनता है जबकि वादी एवं उसे परिवारजन गत 30 वर्षों से भी अधिक समय से निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग कर वादी परिवारजनों का पालन पोषण कर रहा हैं। वादी व उसके परिवारजनों ने [illegible] की लागत लगाकर उक्त भूमि को कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:54 IST
Reason: SelfAttested

योग्य बनाकर भूमि के चारों ओर खाई खोद बाड बना रखी हैं। वादी व उसके परिवार के सदस्यों ने कई रूपयों का खर्चा कर भूमि को उपजाऊ बनाकर काश्त योग्य बनाई है एवं आवादान की हैं। वादी के पास उक्त कृषि भूमि के अलावा आजीविका का कोई साधन नहीं हैं। जिससे वादी को राजकीय प्रावधानों एवं निर्देशित नियमों के तहत् पुराने कब्जे के आधार पर खातेदार काश्तकार कर दिया जाना चाहिए था परन्तु तत्कालीन राजस्व अधिकारियों ने जानबुझकर कोई राहत नहीं की गई हैं। प्रार्थी/वादी के कब्जे में केवल मात्र 5 बीघा जमीन ही हैं। इसलिये वादी को मजबुर होकर उक्त भूमि की पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार हेतु यह वाद पेश किया हैं। वादी वर्तमान में भी काबिज होकर काश्त कर निरन्तर निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग कर रहा है और अपने परिवारजनों का पालन पोषण कर रहा हैं। प्रतिवादी की ओर से न ही कोई उक्त कथन के समर्थन में दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ पेश किये गये हैं। वादी की ओर से प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी हेतु दावा किया गया है। वाद कृषि भूमि से संबंधित होने से घोषणा का होने से माननीय आप न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। जिससे यह दावा माननीय न्यायालय में पेश हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं सपठित धारा 151 जा. दी. को सव्यय खारिज फरमाया जावें।

8. अधिवक्ता वादी व राजपेरोकार की प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. पर बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार कर वादी/अप्रार्थी का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी/वादी द्वारा अपनी बहस में वाद एवं जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. में वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

9. हमने अधिवक्ता वादी व राजपेरोकार की प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का अध्ययन किया। सर्वप्रथम यह देखना है कि सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 मे क्या प्रावधान है जो निम्न प्रकार है—**वादपत्र का नामंजूर किया जाना— वादपत्र निम्न लिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा।**

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:54 IST
Reason: SelfAttested

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसे करने में असफल रहता है।

(घ) जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ङ) जहां यह दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है।

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

10. हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा खेड़ाभानसोल पटवार हल्का भानसोल तह. मावली के खाता संख्या 1 पर दर्ज आराजी नम्बर 1537 रकबा 30 बीघा 05 बिस्वा भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज हैं। वादी अपने वाद की कलम संख्या 2 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी का विगत 30 वर्षों से भी अधिक समय से निरन्तर निर्बाध कब्जा हो उपयोग उपभोग हैं। इससे जाहिर है कि वादी एडवर्स पजेशन (प्रतिकूल कब्जे) के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवाना चाहता है। उक्त वादग्रस्त आराजी बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज होकर राज्य सरकार के नाम दर्ज है। प्रार्थी/प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के अनुसार वादी ने वादग्रस्त आराजीयात पर अतिक्रमी की हैसियत से अतिक्रमण कर रखा हैं। जिसके लिए वादी को तहसील कार्यालय से राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत् बेदखल किया गया हैं। **कानून की स्थिति स्पष्ट है कि प्रतिकूल/पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं हैं, केवल धारा 63(1)(4) के तहत् खातेदारी अधिकार समाप्त होने के ही प्रावधान हैं। RRT 2011 पेज 721 के वृहत् पीठ के निर्णय अनुसार राजस्व भूमि में लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के नवीनतम न्यायिक निर्देश आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1139 द्वारा राजस्थान काश्तकारी कानून के तहत् प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी [illegible] का प्रावधान हीं नहीं होना वर्णित किया हैं। इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी अपने निर्णय आर.आर.डी. 14.**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:54 IST
Reason: SelfAttested

06.2014 पेज 352 अनुसार इस प्रकार के प्रावधान नहीं माना है। स्पष्टतया माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राजस्व मण्डल दोनों द्वारा प्रतिकूल कब्जे या दीर्घकालीन कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दिये जा सकने का स्पष्ट विधिक निर्देश हैं। उपरोक्त विवेचन, दस्तावेजात एवं नजीरों के आधार पर वादीगण का वाद घोषणा का न्यायालय हाजा में चलने योग्य नहीं होने से बार्ड बाई लॉ पाया जाता हैं। अतः वादीगण का वाद बार्ड बाय लॉ होने से प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:54 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री रंगलाल पिता परथा गुर्जर निवासी माण्डुथल तहसील मावली।

.....वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय, उदयपुर।

.....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.
मुकदमा न0 : 59/19 (वाद) GCMS No. : 2019/00304

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 15.09.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:54 IST
Reason: SelfAttested